"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 355] रायपुर, शनिवार, दिनांक 5 दिसम्बर 2009—अग्रहायण 14, शक 1931

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक/पंचा./पंग्राविवि/22/2009/1915.—छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 में उत्तरभावी संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (1), सहपठित धारा 43 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये, प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सात दिवस का अवसान होने पर विचार किया जायेगा.

कोई आपत्ति या सुझाव जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर (कक्ष क्रमांक 383) को कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में :—

1. नियम 36 के उप-नियम (1) के खण्ड (तीन) में शब्द "संचालक" के स्थान पर शब्द "संभागायुक्त" प्रतिस्थापित किया जाये.

2. नियम 40-क के उप-नियम (3) के खण्ड (iii) में शब्द "संचालक" के स्थान पर शब्द "संभागायुक्त" प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवाशीष दास, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2009

क्रमांक/पंचा./पंग्राविवि/22/2009/1916.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/पंचा./पंग्राविवि/22/2009/1915/दिनांक 05-12-2009 में संशोधन बाबत् अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवाशीष दास, विशेष सचिव.

Raipur, the 5th December 2009

NOTIFICATION

No./P./PGVV/22/2009/1915.—The following draft of further amendment in the Chhattisgarh Panchayat Nirvachan Niyam, 1995 which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 95 read with section 43 of the Chhattisgarh Panchayatraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), is published as required by sub-section (3) of section 95 of the said Adhiniyam, for information of all persons likely to be effected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on the expiry of seven days from the date of publication of this notice in the Chhattisgarh Gazette.

Any objections or suggestions regarding the said draft received from any person before the specified period in office hours, by the office of the Principal Secretary, Department of Panchayat & Rural Development, Government of Chhattisgarh, Dau Kalyan Singh Bhawan, Mantralaya, Raipur (Room No. 383) will be considered by Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules :—

1. In Clause (iii) of sub-rule (1) of rule 36 for the word "Director" the words "Divisional Commissioner" shall be substituted.

2. In Clause (iii) of sub-rule (3) of rule 40-A for the word "Director" the words "Divisional Commissioner" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
DEBASHISH DAS, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.